

फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी बैनामा करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, लैपटाप, प्रिन्टर, मोबाइल आदि बरामद ।

वादी मुकदमा श्री राजकुमार सिंह चौहान पुत्र रावेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पिडारा उत्तर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 25.03.2023 को फर्जी बैनामा करने वालों के खिलाफ मु0अ0स0 227/23 धारा 406/420/467/468/471/34 IPC पजीकृत कराया था ।

श्री एस0 आनन्द वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुये श्री संजीव कुमार वाजपेई, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में श्री अजय कुमार राय क्षेत्राधिकारी जलालाबाद व प्रभारी निरीक्षक थाना जलालाबाद प्रवीन सोलकी के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा **दिनांक 26.03.2023 को समय 1.30 बजे कोला मोड** से अभियुक्त 1- सर्वेश पुत्र रामप्रकाश 2- ओमकार पुत्र रामस्वरूप 3. रविन्द्र पुत्र नन्हे सिंह 4. मुकेश पुत्र रामसेवक को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से विजेन्द्र पुत्र रामदुलारे निवासी मुसेपुर थाना शमशाबाद जिला फरुखाबाद का जाली आधार कार्ड जिस पर अभियुक्त ओमकार का फोटो लगा है और पता ओमकार का लिखा है व अभियुक्त सर्वेश के कब्जे से एक मोबाइल जिसमें कई आधार कार्ड व फोटो एव जमीन के कागज के फोटो है बरामद हुये जिन्होंने पुछताछ पर बताया कि अभियुक्त मुकेश पुत्र रामसेवक नि0ग्राम आधीदेई थाना कलान जिला शाहजहापुर के जनसेवा केन्द्र से मुकेश द्वारा जाली आधार कार्ड तैयार करना बताया अभियुक्तगण की निशादेही पर मुकेश पुत्र रामसेवक उपरोक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले उपकरण लैपटाप , प्रिटर बरामद लैपटाप में कई आधार कार्ड , जमीन के कागज आदि है । अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है ।

विवरण पुछताछ -

अभियुक्त 1- सर्वेश पुत्र रामप्रकाश नि0 ग्राम झकरेली थाना कलान जिला शाह0 2- ओमकार पुत्र रामस्वरूप नि0 महामूदियापुर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर 3. रविन्द्र पुत्र नन्हे सिंह नि0 सुकनईया थाना कलान जि0 शाहजहाँपुर ने पुछताछ पर बताया कि हमें जानकारी हुयी थी कि राजकुमार जमीन खरीदना चाहता है तो हमने राजकुमार के खेत के पास ही विजेन्द्र पुत्र रामदुलारे निवासी मुसेपुर थाना शमशाबाद जिला फरुखाबाद की जमीन गाटा सं0 535 ज/1 रकवा 0.300 हे0 व 440 रकवा 0.405 हे0 बताया और मौके पर जमीन दिखाई और जमीन 12 हजार रुपये वीघा वेचना तय हुयी कागज निकलवाकर राजकुमार को दिये और कहा कि तुम चैक कर लो कागज सही है या गलत है राजकुमार ने इन्तकाब के आधार पर तहसील जलालाबाद में चैक करा लिया जमीन पर कोई लोन या विवाद नहीं था । कुल 11 वीघा जमीन 12 हजार रुपये के हिसाब से 132000 रु0 में राजकुमार के साथ बेचना तय हुयी हम तीनों ने मिलकर ओमकार के आधार कार्ड में मुकेश पुत्र रामसेवक नि0ग्राम आधीदेई थाना कलान से विजेन्द्र पुत्र रामदुलारे का नाम EDIT कराकर जाली आधार कार्ड तैयार करा लिया जमीन विक्री के मिलने वाले पैसों में से 60000 रु0 ओमकार को देना देना तय हुआ तथा 20 हजार रुपये सर्वेश 20 हजार रुपये रावेन्द्र व 20 हजार रुपये मुकेश को देना तय हुआ था । ओमकार को आधार कार्ड के साथ केवल खडा होना था और कहना था कि मेरी जमीन है मैं वेच रहा हूँ । हम लोग बैनामा कराने दिनांक 25.03.2023 को तहसील में आ गये राजकुमार हम सब को बैनामे में गवाह बनाने लगा , फोटो और आधार कार्ड मागने लगा हमने गवाह बनने से मना कर दिया जिस पर राजकुमार को शक हो गया और राजकुमार अपने बयाने में दिये 20 हजार रुपये वापस मागने लगा हम तहसील से पकड़े जाने के डर से भाग गये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- सर्वेश पुत्र रामप्रकाश नि0 ग्राम झकरेली थाना कलान जिला शाह0
- 2- ओमकार पुत्र रामस्वरूप नि0 महामूदियापुर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर
- 3- रविन्द्र पुत्र नन्हे सिंह नि0 सुकनईया थाना कलान जि0 शाहजहाँपुर
- 4- मुकेश पुत्र रामसेवक निवासी आधीदेई थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद लैपटाप
2. 01 अदद प्रिन्टर
3. 01 अदद मोबाइल
4. 01 अदद जाली आधारकार्ड,

पुलिस टीम का विवरण-

श्री प्रवीन सोलकी प्रभारी निरीक्षक थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर
व0उ0नि0 सुदीश सिंह सिरोही थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर
है0का0 खालिक खान थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर
का0 409 अशोक कुमार थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर
का0 311 लोकेश कुमार थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर
का0 1739 पुष्पेन्द्र कुमार थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर

